रजिस्ट्री. सं. डी. एल. -(एन)04/0007/2003—05

असाधारण

भाग II –खण्ड 1

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 25] नईदिल्ली ,मंगलवार, 21 जून, 2005/ज्येष्ठ 31,1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है,जिससे की वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके|

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 21 जून, 2005/31 ज्येष्ठ, 1927 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई तथा इसे सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

वर्ष 2005 की संख्या 22

[15 जून , 2005.]

नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अंतर्गत सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था निर्धारित करने, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के गठन और उससे संबंधित या उसके प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक अधिनियम।

जबकि भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है;

और जबकि लोकतंत्र के लिए जागरूक नागरिक वर्ग और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता होती है जो इसके कामकाज के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारों और उनके साधनों को शासितों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है;

और जबकि वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण से अन्य सार्वजनिक हितों के साथ टकराव होने की संभावना है, जिसमें सरकारों का कुशल संचालन, सीमित वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता का संरक्षण शामिल है;

और जबकि लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए इन परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है;

अतः अब यह समीचीन है कि नागरिकों को कुछ जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उपबंध किया जाए जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाए:—

अध्याय- ।

प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक,

विस्तार और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर होगा।

(3). धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और (2), धारा 12, 13, 15,16, 24, 27 और 28 के उपबंध तुरन्त प्रवृत्त होंगे तथा इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "उपयुक्त सरकार" का तात्पर्य ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरण के संबंध में है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा स्थापित, गठित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है—

(i) केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा, केंद्रीय सरकार;

(ii) राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार

(ख) "केन्द्रीय सूचना आयोग" का अर्थ धारा 12 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय सूचना आयोग है;

(ग) "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" का अर्थ उपधारा (1) के अन्तर्गत नामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी है तथा इसमें धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत नामित केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी शामिल है;

(घ) "मुख्य सूचना आयुक्त" तथा "सूचना आयुक्त" का अर्थ धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त है;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है

(i) लोक सभा या किसी राज्य या ऐसी विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के मामले में अध्यक्ष तथा राज्य सभा या राज्य विधान परिषद के मामले में सभापति;

(ii) सर्वोच्च न्यायालय के मामले में भारत का मुख्य न्यायाधीश;

(iii) उच्च न्यायालय के मामले में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों के मामले में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक;

(च) "सूचना" से तात्पर्य किसी भी रूप में कोई भी सामग्री से है, जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल है, जिसे किसी अन्य कानून के अन्तर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है;

(छ) "विहित" का अर्थ है, इस अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;

(ज) "सार्वजनिक प्राधिकरण" का अर्थ है, स्वायत्त शासन का कोई प्राधिकरण या निकाय या संस्था जो स्थापित या गठित है -

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा;

(ग) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा;

(घ) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा,

और इसमें कोई भी शामिल है-----

(i) स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय;

(ii) गैर-सरकारी संगठन पर्याप्त रूप से वित्तपोषित,

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से;

(i) "रिकॉर्ड" में शामिल हैं-

(क) कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल;

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और प्रतिकृति;

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में मूर्त छवि या छवियों का कोई पुनरुत्पादन (चाहे बड़ा किया गया हो या नहीं); और

(घ) कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;

(झ) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में है और इसमें निम्नलिखित का अधिकार शामिल है-

(i) कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, अर्क या प्रमाणित प्रतियां लेना;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(iv) डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहीत है;

(ञ) "राज्य सूचना आयोग" का तात्पर्य धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित राज्य सूचना आयोग से है;

(ट) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" तथा "राज्य सूचना आयुक्त" का तात्पर्य धारा 15 की उपधारा(3) के अन्तर्गत नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त से है;

(ठ) "राज्य लोक सूचना अधिकारी" का तात्पर्य उपधारा (1) के अन्तर्गत पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी से है तथा इसमें धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी शामिल है;

(ङ) "तृतीय पक्ष" का तात्पर्य सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न किसी व्यक्ति से है तथा इसमें लोक प्राधिकरण भी शामिल है।

अध्याय II

सूचना का अधिकार और सार्वजनिक प्राधिकारियों के दायित्व

सूचना का अधिकार

3. इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण-

क) अपने सभी अभिलेखों को विधिवत् सूचीबद्ध और अनुक्रमित करेगा, ऐसी रीति और प्ररूप में जो इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना के अधिकार को सुगम बनाता हो और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए उपयुक्त हैं, उचित समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत किए जाएं और पूरे देश में विभिन्न प्रणालियों पर नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जाएं ताकि ऐसे अभिलेखों तक पहुंच सुगम हो सके;

ख) इस अधिनियम के लागू होने से एक सौ बीस दिनों के भीतर प्रकाशित करें,

(i) इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण;

(ii) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(iii) पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(iv) इसके कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड;

(v) इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए या इसके कर्मचारियों द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निदेश, मैनुअल और रिकॉर्ड;

(vi) इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण;

(vii) इसकी नीति के निर्माण या इसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण;

(viii) इसके भाग के रूप में या इसके परामर्श के उद्देश्य से गठित दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने मंडलों , परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, तथा क्या उन मंडलों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं;

(ix) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका;

(x) इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में प्रदत्त पारिश्रमिक की प्रणाली शामिल है;

(xi) इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाया गया हो;

(xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है;

(xiii) इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण;

(xiv) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या इसके द्वारा रखी गई सूचना के संबंध में विवरण;

(xv) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य घंटे भी शामिल हैं, यदि वे सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए हों;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विनिर्दिष्ट की जा सकती है; और उसके बाद इन प्रकाशनों को हर वर्ष अद्यतन करना;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करना;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक निर्णयों के कारण बताना।

(2) प्रत्येक लोक प्राधिकरण का यह निरंतर प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार इंटरनेट सहित विभिन्न संचार साधनों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को स्वप्रेरणा से अधिक से अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए, ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक सूचना का व्यापक रूप से तथा ऐसे रूप और तरीके से प्रसार किया जाएगा, जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो।

(4) सभी सामग्रियों का प्रसार लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस स्थानीय क्षेत्र में संचार की सबसे प्रभावी विधि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और सूचना, यथासंभव केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में, निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत या प्रिंट लागत मूल्य पर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, आसानी से सुलभ होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण.- उपधारा (3) और (4) के प्रयोजनों के लिए, "प्रसारित" का अर्थ है सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, सार्वजनिक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से जनता को सूचना ज्ञात या संप्रेषित करना, जिसके अंतर्गत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यालयों का निरीक्षण भी है।

सार्वजनिक सूचना अधिकारयों का पदनाम।

(5). (1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधिनियमित होने के सौ दिन के भीतर, अपने अन्तर्गत सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में, यथास्थिति, उतने अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित करेगा, जितने इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधिनियमित होने के सौ दिन के भीतर, प्रत्येक उप-मंडल स्तर या अन्य उप-जिला स्तर पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में एक अधिकारी को नामित करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करेगा, तथा उन्हें तुरन्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को अग्रेषित करेगा, जैसा भी मामला हो:

शर्त यह हैं कि जहां सूचना या अपील के लिए आवेदन, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रत्युत्तर के लिए अवधि की गणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ी जाएगी।

(3) प्रत्येक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथास्थिति, सूचना चाहने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना चाहने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(4) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथास्थिति, किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकेगा, जिसे वह अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी सहायता उपधारा (4) के अन्तर्गत मांगी गई है, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, यथास्थिति, उसकी सहायता मांगने में सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए, ऐसा अन्य अधिकारी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी माना जाएगा।

(6). (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह लिखित रूप में या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की राजभाषा में, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, अनुरोध करेगा, जिसके साथ विनिर्दिष्ट शुल्क भी लगेगा, निम्नलिखित को-

जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो;

(ख) केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो,

उसके द्वारा मांगी गई सूचना का विवरण निर्दिष्ट करते हुए: बशर्ते कि जहां ऐसा अनुरोध लिखित रूप में नहीं किया जा सकता है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, मौखिक रूप से अनुरोध करने वाले व्यक्ति को लिखित रूप में अनुरोध करने के लिए सभी उचित सहायता प्रदान करेगा।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने का कोई कारण या कोई अन्य व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय उन विवरणों के जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(3) जहां एक सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना के लिए अनुरोध करते हुए आवेदन किया जाता है, -

(i) जो किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है; या

(ii) जिसका विषय किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यों से अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है,

वह लोक प्राधिकरण, जिसके समक्ष ऐसा आवेदन किया गया है, आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देगा तथा ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरन्त सूचित करेगा: परन्तु इस उपधारा के अधीन आवेदन का अंतरण यथाशीघ्र किया जाएगा, किन्तु किसी भी दशा में आवेदन प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के बाद नहीं किया जाएगा।

अनुरोध का निस्तारण

(7). (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परन्तुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परन्तुक के अन्तर्गत रहते हुए, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, धारा 6 के अन्तर्गत अनुरोध प्राप्त होने पर,

यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी मामले में अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर, या तो निर्धारित शुल्क के भुगतान पर सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और 9 में निर्दिष्ट किसी भी कारण से अनुरोध को अस्वीकार कर देगा:

परन्तु जहां मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो, वहां उसे अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर निर्णय देने में विफल रहता है, तो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अनुरोध को अस्वीकार करने वाला माना जाएगा।

(3) जहां सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर सूचना उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, अनुरोध करने वाले व्यक्ति को एक सूचना भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी-

(क) उसके द्वारा निर्धारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क का विवरण, उपधारा (1) के अधीन निर्धारित शुल्क के अनुसार राशि निकालने के लिए की गई गणनाओं के साथ, उससे वह शुल्क जमा करने का अनुरोध करते हुए, तथा उक्त सूचना के प्रेषण और शुल्क के भुगतान के बीच की अवधि को उस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ बाहर रखा जाएगा;

(ख) लिए गए शुल्क की राशि या प्रदान की गई, पहुंच के रूप के संबंध में निर्णय की समीक्षा करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी, समय-सीमा, प्रक्रिया और किसी अन्य रूप का विवरण शामिल है।

(4) जहां इस अधिनियम के तहत अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच प्रदान करना अपेक्षित है और जिस व्यक्ति को पहुंच प्रदान की जानी है वह संवेदी

रूप से अक्षम है, वहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, सूचना तक पहुंच को सक्षम करने के लिए सहायता प्रदान करेगा, जिसमें निरीक्षण के लिए उपयुक्त सहायता प्रदान करना शामिल है।

(5) जहां सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रदान की जानी है, आवेदक उप-धारा (6) के प्रावधानों के अन्तर्गत रहते हुए, निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा: शर्त यह रहेगी कि धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 7 की उप-धारा (1) और (5) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क उचित होगा और गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों से ऐसा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(6) उप-धारा (5) में निहित किसी भी बात के बावजूद, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी, जहां कोई सार्वजनिक प्राधिकरण उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समय सीमाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई निर्णय लेने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अन्तर्गत किसी तृतीय पक्ष द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करेगा।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई अनुरोध अस्वीकृत कर दिया गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सूचित करेगा,—

(i) ऐसी अस्वीकृति के कारण;

(ii) वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध अपील की जा सकेगी; और

(iii) अपीलीय प्राधिकारी का विवरण।

(9) सूचना सामान्यतः उसी रूप में प्रदान की जाएगी जिसमें वह मांगी गई है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अनुचित रूप से दुरुपयोग न करे या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के लिए हानिकारक न हो।

(8). (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी नागरिक को यह देने की कोई बाध्यता नहीं होगी,—

सूचना के प्रकटीकरण से छूट

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या किसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा;

(ख) सूचना जिसे किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना हो सकती है;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा;

(घ) वाणिज्यिक गोपनीयता, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित सूचना, जिसके प्रकटन से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है;

(ङ) किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है;

(च) विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना;

(छ) ऐसी सूचना, जिसके प्रकट होने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए गोपनीय रूप से दी गई सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान हो;

(ज) ऐसी सूचना, जो जांच की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करे या अपराधियों को पकड़ने या अभियोजन चलाने में बाधा उत्पन्न करे;

(झ) मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेखों सहित कैबिनेट के कागजात: बशर्ते कि मंत्रिपरिषद के निर्णय, उसके कारण और वह सामग्री जिसके आधार पर निर्णय लिए गए थे, निर्णय लिए जाने के बाद और मामला पूरा होने या समाप्त होने के बाद सार्वजनिक किए जाएंगे:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि इस धारा में निर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आने वाले मामलों का खुलासा नहीं किया जाएगा;

1923 का 19

(2) शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 में किसी बात के होते हुए भी या उपधारा (1) के अनुसार अनुमेय किसी छूट के होते हुए भी, कोई लोक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि प्रकटीकरण में लोक हित संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान से अधिक है।

(3) उपधारा (1) के खंड (क), (ग) और (झ) के उपबंधों के अन्तर्गत रहते हुए, किसी घटना, घटना या मामले से संबंधित कोई सूचना, जो धारा 6 के अन्तर्गत कोई अनुरोध किए जाने के दिनांक से बीस वर्ष पूर्व घटित हुई हो, उस धारा के अन्तर्गत अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को प्रदान की जाएगी:

परंतु जहां कोई प्रश्न उठता है कि किस दिनांक से बीस वर्ष की उक्त अवधि की गणना की जानी है, वहां केंद्रीय सरकार का निर्णय इस अधिनियम में उपबंधित सामान्य अपीलों के अन्तर्गत रहते हुए अंतिम होगा।

कुछ मामलों में प्रवेश

की अस्वीकृति के आधार।

(9). धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, सूचना के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, जहां पहुंच प्रदान करने के ऐसे अनुरोध में राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन अंतर्वलित होता हो।

विच्छेदनीयता

(10). (1) जहां सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध इस आधार पर अस्वीकृत किया जाता है कि यह ऐसी सूचना के संबंध में है जिसे प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है, तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, अभिलेख के उस भाग तक पहुंच प्रदान की जा सकेगी जिसमें ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है और जिसे छूट प्राप्त सूचना वाले किसी भाग से उचित रूप से अलग किया जा सकता है।

(2) जहां उपधारा (1) के अन्तर्गत अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच प्रदान की जाती है, वहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, आवेदक को यह सूचित करते हुए सूचना देगा कि-

(क) प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना वाले अभिलेख को अलग करने के पश्चात, अनुरोधित अभिलेख का केवल भाग ही उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) निर्णय के कारण, जिसमें तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई निष्कर्ष शामिल है, जिसमें उस सामग्री का उल्लेख है जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे;

(ग) निर्णय देने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम

(घ) उसके द्वारा परिकलित फीस का ब्यौरा तथा फीस की वह राशि जिसे आवेदक को जमा कराना अपेक्षित है; तथा

(ङ) सूचना के भाग का प्रकटीकरण न करने के संबंध में निर्णय की समीक्षा के संबंध में उसके अधिकार, लिए गए शुल्क की राशि या उपलब्ध कराई गई पहुंच का स्वरूप, जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, का विवरण, समय सीमा, प्रक्रिया और पहुंच का कोई अन्य स्वरूप शामिल है।

तीसरे पक्ष की जानकारी.

(11). (1) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके भाग को प्रकट करने का उद्देश्य रखता है, जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या उसके द्वारा दी गई है और उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय मानी गई है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना

अधिकारी अनुरोध की प्राप्ति से पांच दिन के भीतर, ऐसे तीसरे पक्ष को अनुरोध और इस तथ्य की लिखित सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना या अभिलेख या उसके भाग को प्रकट करने का उद्देश्य रखता है और तीसरे पक्ष को लिखित या मौखिक रूप से यह निवेदन करने के लिए आमंत्रित करेगा कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं और सूचना के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा: परन्तु कानून द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के मामले को छोड़कर, प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित ऐसे तीसरे पक्ष के हितों को होने वाले किसी संभावित नुकसान या चोट से अधिक महत्वपूर्ण है।

(2) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी सूचना या अभिलेख या उसके भाग के संबंध में किसी तृतीय पक्षकार को कोई नोटिस का पालन किया जाता है, वहां तृतीय पक्षकार को ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से दस दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अंतर्गत अनुरोध की प्राप्ति के पश्चात चालीस दिन के भीतर, यदि तृतीय पक्षकार को उपधारा (2) के अंतर्गत अभ्यावेदन करने का अवसर दिया गया है, इस बारे में निर्णय करेगा कि सूचना या अभिलेख या उसके भाग को प्रकट किया जाए या नहीं और अपने निर्णय की लिखित सूचना तृतीय पक्षकार को देगा।

(4) उपधारा (3) के अंतर्गत दी गई सूचना में यह कथन सम्मिलित होगा कि वह तृतीय पक्षकार, जिसे सूचना दी गई है, निर्णय के विरुद्ध धारा 19 के अंतर्गत अपील करने का हकदार है।

अध्याय III

केंद्रीय सूचना आयोग

12. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) मुख्य सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक केन्द्रीय सूचना आयुक्तों की ऐसी संख्या, जो आवश्यक समझी जाए।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के अनुरोध पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(i) प्रधानमंत्री, जो समिति के अध्यक्ष होंगे;

(ii) लोक सभा में विपक्ष के नेता; और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री।

स्पष्टीकरण.-शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को इस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्ष में सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता माना जाएगा।

(4) केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसे सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जो केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के

अन्तर्गत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निदेशों के अन्तर्गत हुए बिना स्वायत्त रूप से प्रयोग या किए जा सकते हैं।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई व्यवसाय नहीं करेगा या कोई पेशा नहीं अपनाएगा।

(7) केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

पदावधि और सेवा की शर्तें।

(13). (1) मुख्य सूचना आयुक्त, अपने पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः परन्तु कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, अपने पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा तथा ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अन्तर्गत अपना पद रिक्त करने पर, धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट तरीके से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगाः परन्तु जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसका पदकाल सूचना आयुक्त तथा मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष

प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा:

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को धारा 14 के अन्तर्गत निर्दिष्ट तरीके से हटाया जा सकेगा।

(5) निम्नलिखित को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन-

(क) मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होंगे;

(ख) सूचना आयुक्त का वेतन निर्वाचन आयुक्त के समान होगाः

यदि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी पिछली सेवा के संबंध में विकलांगता या घाव पेंशन के अलावा कोई पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसका वेतन उस पेंशन की राशि से कम किया जाएगा, जिसमें पेंशन का कोई हिस्सा शामिल है जिसे कम्यूट किया गया था और सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के बराबर पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभों के बराबर पेंशनः

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित निगम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पिछली सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा हो, तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसका वेतन सेवानिवृत्ति लाभों के बराबर पेंशन की राशि से कम किया जाएगाः

यह भी प्रावधान है कि वेतन, भत्ते और अन्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उनके कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक हों, तथा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

14. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अन्तर्गत रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उसके पद से हटाया जाएगा, जब राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे गए संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय ने जांच के बाद रिपोर्ट दी हो कि मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को, जो सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर होगा, जैसा भी मामला हो, ऐसे आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके संबंध में उपधारा (1) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को निदेश किया गया है, पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा, जब तक कि राष्ट्रपति ऐसे निदेश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश पारित नहीं कर देता है।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति आदेश द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को पद से हटा सकेगा, जैसा भी मामला हो,-

(क) दिवालिया घोषित किया गया है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जो राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता से संबंधित है; या

(ग) अपने पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन रोजगार में संलग्न है; या

(घ) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अशक्तता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; या

(ङ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी अनुबंध या समझौते से किसी भी तरह से संबंधित या हितबद्ध है या किसी भी तरह से उसके लाभ में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी फायदे या पारिश्रमिक में किसी निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भाग लेता है, तो वह उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, दुर्व्यवहार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय IV

राज्य सूचना आयोग

15. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक निकाय का गठन करेगी जिसे ..... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से जाना जाएगा, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए कार्यों का पालन करेगा।

राज्य सूचना आयोग का गठन

(2) राज्य सूचना आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, और

(ख) दस से अनधिक राज्य सूचना आयुक्तों की ऐसी संख्या, जितनी आवश्यक समझी जाए।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(i) मुख्यमंत्री, जो समिति के अध्यक्ष होंगे;

(ii) विधान सभा में विपक्ष के नेता; और

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री

स्पष्टीकरण.- यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्ष के नेता को शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए, इस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विरोध में सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता माना जाएगा।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसे राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के तहत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशों के अन्तर्गत हुए बिना स्वायत्त रूप से प्रयोग या किए जा सकते हैं।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होगा या कोई व्यवसाय नहीं करेगा या कोई पेशा नहीं अपनाएगा।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय, राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

16. (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, अपने पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

कार्यावधि और सेवा की शर्तें

परन्तु कोई भी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, पैंसठ वर्ष की आयु के बाद उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त अपने पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और ऐसे राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अंतर्गत अपना पद रिक्त करने पर, धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट तरीके से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि जहां राज्य सूचना आयुक्त को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसका पदकाल राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा:

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट तरीके से हटाया जा सकेगा।

(5) निम्नलिखित को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन-

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते निर्वाचन आयुक्त के वेतन और भत्ते के समान होंगे;

(ख) राज्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते राज्य सरकार के मुख्य सचिव के वेतन और भत्ते के समान होंगे:

परन्तु ,यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी पूर्व सेवा के संबंध में विकलांगता या क्षति पेंशन के अलावा कोई पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में उस पेंशन की राशि से कटौती की जाएगी, जिसमें पेंशन का वह भाग शामिल है जिसे परिवर्तित किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभों के समतुल्य पेंशन शामिल है:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित निगम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा हो, तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में सेवानिवृत्ति लाभों के समतुल्य पेंशन की राशि से कटौती की जाएगी:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें और राज्य सूचना आयुक्तों के पदों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत उनके कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक हों, तथा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें और निबंधन वे होंगे जो विहित किए जाएं।

17. (1) उपधारा 3 के उपबंधों के अन्तर्गत रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल के आदेश द्वारा हटाया जाएगा, जब सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे किए गए संदर्भ पर जांच में रिपोर्ट दी हो कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, यथास्थिति, ऐसे आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का निष्कासन

(2) राज्यपाल उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके संबंध में उपधारा (1) के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ किया गया है, पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी रोक लगा सकेगा, जब तक कि राज्यपाल ऐसे संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश पारित नहीं कर देता।

(3). उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल आदेश द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटा सकेगा, जैसा भी मामला हो,-

(क) दिवालिया घोषित किया गया है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जो राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता से संबंधित है; या

(ग) अपने पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन रोजगार में संलग्न है; या

(घ) राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; या

(ङ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी अनुबंध या समझौते से किसी भी तरह से संबंधित या हितबद्ध है या किसी भी तरह से उसके लाभ में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी फायदे या उपलब्धियों में किसी निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से भाग लेता है, तो वह उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, दुर्व्यवहार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय V

सूचना आयोगों की शक्तियां और कार्य, अपील और दंड

18. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे,—

सूचना आयोगों की शक्तियां और कार्य

(क) जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, या तो इस कारण से कि इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, या क्योंकि, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने, इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना या अपील के लिए उसके आवेदन को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को अग्रेषित करने से इनकार कर दिया है;

(ख) जिसे इस अधिनियम के तहत मांगी गई किसी सूचना प्राप्ति से इनकार कर दिया गया हो;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना या सूचना प्राप्ति के अनुरोध का जवाब नहीं दिया गया हो;

(घ) जिसे शुल्क की ऐसी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता हो जिसे वह अनुचित समझता हो;

(ङ) जो मानता हो कि उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत अपूर्ण, भ्रामक या झूठी सूचना दी गई है; और

(च) इस अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेखों तक पहुंच का अनुरोध करने या प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में।

(2) जहां केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हो कि मामले की जांच करने के लिए उचित आधार हैं, वह उसके संबंध में जांच शुरू कर सकता है।

1908 का 5

(3) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, इस धारा के अन्तर्गत किसी मामले की जांच करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां रखेगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:-

(क) व्यक्तियों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए बाध्य करना;

(ख) दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की मांग करना;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना;

(ङ) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए समन जारी करना; और

(च) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।

(4). संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी शिकायत की जांच के दौरान, किसी ऐसे अभिलेख की जांच कर सकेगा, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, जो लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में है, और ऐसा कोई अभिलेख किसी भी आधार पर उससे रोका नहीं जा सकेगा।

अपील

19. (1) कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता है, या वह, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी निर्णय से व्यथित है, ऐसी अवधि की समाप्ति से या ऐसे निर्णय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ पद का हो:

परन्तु ऐसा अधिकारी तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(2) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 11 के अन्तर्गत तृतीय पक्ष सूचना प्रकट करने के लिए दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, वहां संबंधित तृतीय पक्ष द्वारा अपील, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील उस दिनांक से नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष की जा सकेगी, जिस दिनांक को निर्णय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था: परन्तु केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था।

(4) यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का निर्णय, जैसा भी मामला हो, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, किसी तृतीय पक्ष की सूचना से संबंधित है, तो केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, उस तृतीय पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

(5) किसी अपील कार्यवाही में, यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, पर होगा, जिसने अनुरोध को अस्वीकार किया था।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत अपील का निपटारा, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या उसके फाइल किए जाने दिनांक से से, यथास्थिति, कुल पैंतालीस दिन से अनधिक की विस्तारित अवधि के भीतर, कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करके किया जाएगा।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निर्णय, जैसा भी मामला हो, बाध्यकारी होगा।

(8) अपने निर्णय में, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को यह शक्ति होगी कि वह-

(क) लोक प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी कदम उठाने के लिए कहे, जिसमें शामिल हैं-

(i) यदि अनुरोध किया गया हो तो किसी विशेष प्रारूप में सूचना तक पहुंच प्रदान करके;

(ii) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, नियुक्त करके;

(iii) कुछ सूचना या सूचना की श्रेणियों को प्रकाशित करके;

(iv) अभिलेखों के रखरखाव, प्रबंधन और विनाश के संबंध में अपनी प्रथाओं में आवश्यक परिवर्तन करके;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण के प्रावधान को बढ़ाकर;

(vi) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुपालन में इसे वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करके;

(ख) लोक प्राधिकरण को शिकायतकर्ता को हुई किसी हानि या अन्य हानि के लिए प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता होगी;

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत उपबंधित कोई भी दंड अधिरोपित करना;

(घ) आवेदन को अस्वीकार करना।

(9) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, अपने निर्णय की सूचना, जिसमें अपील का कोई भी अधिकार शामिल है, शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकरण को देगा।

(10) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, अपील पर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार निर्णय करेगा, जो विहित की जा सकती है।

दंड

20. (1) जहां केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, किसी शिकायत या अपील पर निर्णय करते समय यह राय रखता है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, जैसा भी मामला हो, बिना किसी उचित कारण के सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने से इनकार कर दिया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना प्रदान नहीं की है या दुर्भावनापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या अनुरोध का विषय थी सूचना को नष्ट कर दिया है या सूचना प्रदान करने में किसी भी तरह से

बाधा उत्पन्न की है, तो वह आवेदन प्राप्त होने या सूचना प्रदान किए जाने तक प्रतिदिन दो सौ पचास रुपये का जुर्माना लगाएगा, हालांकि, ऐसे जुर्माने की कुल राशि पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी:

परन्तु केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, जैसा भी मामला हो उस पर कोई जुर्माना लगाए जाने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा:

परन्तु यह साबित करने का भार केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा कि उन्होंने उचित और परिश्रमपूर्वक कार्य किया है, जैसा भी मामला हो ।

(2) जैसा भी मामला हो, जहां केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, किसी शिकायत या अपील पर निर्णय करते समय इस राय पर हो कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी बिना किसी उचित कारण के और लगातार सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना प्रस्तुत नहीं की है या दुर्भावनापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय था या सूचना प्रस्तुत करने में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न की है, वह केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, के खिलाफ उस पर लागू सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

अध्याय VI

विविध

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

21. इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम के अन्तर्गत सद्भावपूर्वक की गई या की जाने वाली किसी बात के लिए किसी

व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव होना

22. इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 और वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी किसी साधन में निहित किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक

23. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत पारित किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को इस अधिनियम के अन्तर्गत अपील के अलावा किसी अन्य तरीके से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

अधिनियम कुछ संगठनों पर लागू नहीं होगा

24. (1) इस अधिनियम में निहित कोई भी बात द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित संगठन हैं या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई कोई सूचना है:

परन्तु भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना को इस उपधारा के अन्तर्गत बाहर नहीं रखा जाएगा:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में है, तो सूचना केवल केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद ही प्रदान की जाएगी, और धारा 7 में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसी सूचना अनुरोध प्राप्त होने के दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।

(2) केंद्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य खुफिया या सुरक्षा संगठन को इसमें शामिल करके या उसमें पहले से निर्दिष्ट किसी संगठन को छोड़कर अनुसूची में

संशोधन कर सकती है और जैसा भी मामला हो, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर, ऐसे संगठन को अनुसूची में शामिल या हटाया गया माना जाएगा।

(3) उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस अधिनियम में निहित कोई भी बात ऐसे खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है:

परन्तु भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को इस उप-धारा के अंतर्गत बाहर नहीं रखा जाएगा:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में है, तो सूचना केवल राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद ही प्रदान की जाएगी और धारा 7 में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसी सूचना अनुरोध प्राप्त होने के दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।

(5) उपधारा (4) के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।

मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग

25. (1) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र, उस वर्ष के दौरान इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति उपयुक्त सरकार को भेजेगा।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अंतर्गत रिपोर्ट तैयार करने और इस धारा के प्रयोजनों के लिए

उस सूचना को प्रस्तुत करने और अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए अपेक्षित है।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में उस वर्ष के संबंध में, जिससे वह संबंधित है, यह बताया जाएगा कि,-

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकरण को किए गए अनुरोधों की संख्या;

(ख) उन निर्णयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे प्रावधान जिनके अंतर्गत ये निर्णय लिए गए तथा ऐसे प्रावधानों का कितनी बार आह्वान किया गया;

(ग) समीक्षा के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को भेजी गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति तथा अपीलों का परिणाम;

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण;

(ङ) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा वसूले गए शुल्क की राशि;

(च) कोई तथ्य जो इस अधिनियम की भावना तथा आशय को प्रशासित करने तथा कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकरणों द्वारा किए गए प्रयास को इंगित करता हो;

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनमें विशेष सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में सिफारिशें शामिल हैं, इस अधिनियम या अन्य कानून या सामान्य कानून या सूचना प्राप्ति के अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए प्रासंगिक किसी अन्य मामले के विकास, सुधार, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए सिफारिशें।

(4) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक वर्ष के अंत के बाद यथाशीघ्र उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या, जैसा भी मामला हो, जहां दो सदन हैं, वहां राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधानमंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखवा सकेगी।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को जैसा भी मामला हो, यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के प्रयोग के संबंध में किसी लोक प्राधिकरण का व्यवहार इस अधिनियम के प्रावधानों या भावना के अनुरूप नहीं है, तो वह प्राधिकरण को उन कदमों को निर्दिष्ट करने की अनुमोदन कर सकता है जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने चाहिए।

कार्यक्रम तैयार करने के लिए उपयुक्त सरकार

26. (1) समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक, -

(क) जनता, विशेष रूप से वंचित समुदायों की इस अधिनियम के अन्तर्गत परिकल्पित अधिकारों का प्रयोग करने के बारे में समझ बढ़ाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम विकसित और आयोजित कर सकेगी;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों के विकास और संगठन में भाग लेने तथा स्वयं ऐसे कार्यक्रम करने के लिए लोक प्राधिकरणों को प्रोत्साहित करना;

(ग) लोक प्राधिकरणों द्वारा उनकी गतिविधियों के बारे में सटीक सूचना का समय पर तथा प्रभावी प्रचार-प्रसार करना; तथा

(घ) लोक प्राधिकरणों के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को, जैसा भी मामला हो, प्रशिक्षित करना तथा लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं उपयोग के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह महीने के भीतर, अपनी राजभाषा में एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी जिसमें ऐसी सूचना, आसानी से समझ में आने वाले रूप और तरीके से होगी, जिसकी किसी व्यक्ति द्वारा, जो इस अधिनियम में निर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, उचित रूप से आवश्यकता हो सकती है।

(3) समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट दिशानिदेशों को नियमित अंतराल पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिसमें विशेष रूप से तथा उप-धारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और सड़क का पता, फोन और फैक्स नंबर और, यदि उपलब्ध हो तो, इलेक्ट्रॉनिक मेल पता;

(ग) वह तरीका और प्रारूप जिसमें, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध किया जाएगा;

(घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य;

(ङ) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में किसी कार्य या कार्य न करने के संबंध में उपलब्ध सभी विधिक उपचार, जिसमें आयोग के समक्ष अपील दायर करने का तरीका भी शामिल है;

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों की श्रेणियों के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के लिए उपबंध करने वाले उपबंध;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के अनुरोध के संबंध में भुगतान की जाने वाली फीस के बारे में सूचनाएं; और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र।

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतराल पर दिशानिदेशों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए।

उपयुक्त सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति

27. (1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:-

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रसारित की जाने वाली सामग्री के माध्यम या प्रिंट लागत मूल्य की लागत;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत देय शुल्क;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और (5) के अंतर्गत देय शुल्क;

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें;

(ङ) धारा 19 की उपधारा (10) के अंतर्गत अपीलों का विनिश्चय करने में, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और

(च) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम बनाने की शक्ति।

28. (1) सक्षम प्राधिकारी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशेष रूप से, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्रसारित की जाने वाली सामग्री के माध्यम की लागत या मुद्रण लागत मूल्य;

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत देय शुल्क;

(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत देय शुल्क; तथा

(iv) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है

नियमों का रखा जाना।

29. (1) इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक क्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र या पूर्वोक्त क्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र की समाप्ति के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने पर सहमत

हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो। तथापि, ऐसा कोई भी परिवर्तन या निरस्तीकरण उस नियम के अंतर्गत पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

30. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अंतर्गत किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन 2003 का 5

31. सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

प्रथम अनुसूची

[धारा 13 (3) और 16 (3) देखें]

मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त

"मैं, ..., मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ।

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा, कि मैं विधिवत् और निष्ठापूर्वक तथा अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक के अनुसार बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के अपने पद के कर्तव्यों का पालन करूँगा और, मैं संविधान और कानूनों को अक्षुण्ण रखूँगा।"

दूसरी अनुसूची

(धारा 24 देखें)

केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो।
2. कैबिनेट सचिवालय का अनुसंधान और एनालिसिस विंग।
3. राजस्व आसूचना निदेशालय।
4. केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो।
5. प्रवर्तन निदेशालय।
6. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो।
7. विमानन अनुसंधान केंद्र।
8. विशेष सीमा बल।
9. सीमा सुरक्षा बल।
10. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल।
11. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस।
12. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।

13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।

14. असम राइफल्स।

15. स्पेशल सर्विस ब्यूरो।

16. विशेष शाखा (सीआईडी), अंडमान और निकोबार।

17. अपराध शाखा-सीआईडी-सीबी, दादर और नागर हवेली।

18. विशेष शाखा, लक्षद्वीप पुलिस।

टी. के. विश्वनाथन,

(सचिव-भारत सरकार)

प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस , मिंटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

तथा प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005.

एमजीआईपीएमआरएनडी–1359जीआई(एस3)—22-06-2005